

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(अति.कार्य)अलेसे-III/ 1401-1410

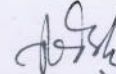
दिनांक:- 2 APR 2014

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 4 में अंकित कार्यालय में रिक्त कनिष्ठ लेखाकार के पद का कार्य भी अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे। कनिष्ठ लेखाकारों की कमी को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यवस्था की गई है। अतः सम्बन्धित विभाग/कार्यालय सम्बन्धित कर्मचारियों को बिना विलम्ब के अतिरिक्त कार्य हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करे :-

क.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने वाले कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	कुलदीप सिंह	पारिवारिक न्यायालय, जोधपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2	नीरज तिवारी	अधीक्षण अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, वृत्त चित्तौड़गढ़	अधीशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, ग्रामीण खण्ड-चित्तौड़गढ़
3	श्री सुरेश ठठेरा	ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर	सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

उक्त कार्मिको को राजस्थान सेवा नियम 35 एवं 50 के अनुसार नियमानुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा। इस विभाग के आदेश क्रमांक 12970-76 दिनांक 14.3.2014 द्वारा श्री उमेश कुमार गर्ग कनिष्ठ लेखाकार, सीएडी एवं एडीपी, सचिवालय, जयपुर का अतिरिक्त कार्य व्यवस्था आदेश निरस्त किया जाता है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(अति.कार्य)अलेसे-III/ 1401-1410

दिनांक :- 2/4/2014

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
3. अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I) कार्यालय हाजा ।
4. कोषाधिकारी.....
5. श्रीक0लेखाकार,कार्यालय.....का प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे सम्बन्धित कार्यालय में भी कार्य सम्पादित करे ।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. उपनिदेशक(एसीपी) को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी/ रक्षित पत्रावली।